

११/१९

अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / ~~अन्य~~ पर
का पद रिक्त है। पत्रावली मत / आदेशानुसार
दिनांक 6.12.19 को पेश हो।

[Signature]


रीडर

6/12/19

पत्रावली घेय हुई। वकील सायल उपर/गैर
सायल की ओर से कोई उप. नही है। गैर
सायल को. की दिनांक 21-10-19 को एक
पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जा चुकी है।
वकील सायल की ओर से एक पक्षीय बहस
की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वह वकील सायल ने अपनी बहस में लर्न पेय
किया गया है कि सायल/गैर सायल के
वर्ज के महसुस दिनांक 5-9-2000 को आपसी
राजीनामा ले गया था। किंतु राजीनामा की डिक्री
का अमल राजस्व रिकार्ड में नही लेने के
कारण राजस्व रिकार्ड की स्थिति वर्तमान में
गैर सायल के नाम दर्ज है। जिसके कारण
मूल दावे के निरस्तारण तक गैर सायल को
रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु

जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे/लाई मूल दवे को निस्तारण तक रिहाई में परिवर्तन नहीं ले सके/कमील सायल की ओर से अपने ग.प.प. के सम्बन्ध में शर्जीनामा की प्रति आई राजरव नकले पेश की गई है/कमील सायल ने मूल दवे के निस्तारण तक जैर सायल को को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने वाकत निवेदन किया गया/बहस कमील सायल पर मनन किया गया। मुताबिक राजरव रिहाई जैर सायल को को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय उचित है।

अतः मूल दवे के निस्तारण तक जैर सायल को को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम अमाकरा एटसील बामनवास के आ.ख.न. 4059 रकबा 0.68 हेयर में सायल को फसल काश्त करने पसल भोलने छाटने में किसी प्रकार की मफाहमत पैदा न ले संबंध करे न किसी आय से कटौत तथा रिहाई की तथा स्थिति बनाये रखे।
 प्राथम घण फेसल शुरू होकर बाद कमील दफ्तर कारखिल किया जावे। तथा मूल दवे की प्याबली के साथ सलमन रहे।
 यह निर्णय आज दिनांक 6-12-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 जिला कलक्टर
 बामनवास (जिला-सोमनाथ)

